



Azadi Ka
Amrit Mahotsav

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



सं. के.भ.नि.नि.का./पीडी0भर्ती/11/2020-कार्मिक

दिनांक: 07.10.2022

परिपत्र

विषय: 01.10.2022 से आईडीए दरों में संशोधन

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 06.10.2022 के कार्यालय जापन संख्या W-02/0039/2017-DPE-GL-(WC)XVII/2022 का संदर्भ लें जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आईडीए पैटर्न अपना रहे बोर्ड स्तर एवं बोर्ड स्तर से नीचे के समूह 'क' एवं 'ख' के कार्यकारी अधिकारियों एवं अयूनियनकृत पर्यवेक्षकों जिन्हें 01.01.2017 से संशोधित वेतनमान देने की अनुमति दी गई थी, को दिनांक 01.10.2022 से आईडीए के भुगतान के अनुदेश दिए गए हैं।

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017, 07.09.2017 के कार्यालयों जापनों द्वारा शासित आईडीए पैटर्न के वेतनमानों पर इस कार्यालय के दिनांक 24.01.2018 के कार्यालय आदेश संख्या के.भ.नि./ I-वेतन संशोधन 'क' एवं 'ख' समूह/ भर्ती/1.1.2017/2438 द्वारा निगम के जिन पात्र अधिकारियों को 01.01.2017 से संशोधित वेतनमान का लाभ देने की अनुमति दी गई है, उन्हें लोक उद्यम विभाग के उक्त कार्यालय जापनों में दी गई शर्तों के अनुसार आईडीए का भुगतान नियमित किया जाएगा।

समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दिनांक 19.12.2019 को प्रबंधन तथा यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता जापन के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के संशोधित वेतनमान के अनुसरण में आईडीए की समान दर लागू होगी। उक्त समझौता जापन पत्र संख्या सीडब्ल्यूसी/आईआरओ/वेज-रिवीजन/2019 दिनांक 23.12.2019 के द्वारा कार्यान्वित किया जा चुका है। तदनुसार आईडीए की दरें निम्न प्रकार लागू होंगी :-

प्रभावी तिथि	मूल वेतन पर लागू आईडीए दर का प्रतिशत	शुद्ध वृद्धि प्रतिशत में
01.07.2022	32.5 प्रतिशत	2.3 प्रतिशत
01.10.2022	34.8 प्रतिशत	

(सुमित कुमार)

प्रबंधक (नीति)

प्रतिलिपि:

1. सभी विभागाध्यक्ष, के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।
2. सहायक महाप्रबंधक (स्थापना) / प्रबंधक(वेतन)/ प्रबंधक(प्रशासन)/ प्रबंधक(आईआर) के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, के.भ.नि., क्षेत्रीय कार्यालय- इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी भंडारगृह / केंद्रों और पंजीकृत यूनियनों को परिचालित की जाए।
4. प्रबंध निदेशक के निजी सचिव/निदेशक (कार्मिक) के निजी सचिव/निदेशक (एम एंड सीपी) के निजी सचिव, निदेशक (वित्त एवं लेखा) के निजी सहायक / मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव, के.भ.नि., निगमित कार्यालय, नई दिल्ली ।



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



No. CWC CO-PDORECT/11/2020-PERS

Dated: 07.10.2022

CIRCULAR

Subject: Revision of IDA Rates w.e.f. 01.10.2022.

This has reference to the Department of Public Enterprises OM No. W-02/0039/2017-DPE (WC)-GL-XVII/2022 dated 06.10.2022 containing instructions for payment of **IDA w.e.f. 01.10.2022** to the Board level and Below Board level Group A & B executives and non-unionized supervisors of the Central Public Sector Enterprises following IDA pattern who have been allowed revised pay scales w.e.f. 01.01.2017.

The payment of IDA to the entitled Officers of the Corporation who have been allowed the benefit of revised pay scales vide this Office Order No. CWC/I-Group A&B Pay Revision/ Rectt./1.1.2017/2438 dated 24th January, 2018 w.e.f. 1.1.2017 on IDA pattern of pay scale governed by DPE's OM dated 3.8.2017, 4.8.2017 and 7.9.2017 may be regulated in accordance with the terms enumerated by the Department of Public Enterprises in the above said OMs.

For Group C&D employees, the same rate of IDA will be applicable as the pay scale of Group C&D employees has been revised w.e.f. 01.01.2017 as per the MOS signed by the representative of the Unions and Management on 19.12.2019. The MOS has been implemented vide letter No. CWC/IRO/Wage-Revision/2019 dated 23.12.2019.

Accordingly, the rates of IDA will be applicable as under:-

Effective Date	%age of IDA rate applicable on Basic Pay	Net Increase in %age
01.07.2022	32.5%	2.3 %
01.10.2022	34.8%	

**(Sumit Kumar)
Manager (Policy)**

Copy to:

1. All Heads of Divisions, CWC, CO, New Delhi.
2. AGM (Estt)/Manager (Salary)/ Manager (Admn)/Manager (IR), CWC, CO, New Delhi.
3. All Regional Managers, CWC, Regional Offices – with the request that a copy of this office order may be circulated to all Warehouses/Centres under their jurisdiction and Registered Unions.
4. PS to MD / PS to Dir (Pers.)/PS to Dir (MCP)/PA to Dir (F&A)/PS to CVO, CO, New Delhi